पुलिसवालों पर पत्नी से बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाला गिरफ्तार

नोएडा, 2 सितंबर (जनसत्ता)

पुलिसकर्मियों पर अपनी पत्नी से सामूहिक बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाने वाले एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस को फोन कर झूठी सूचना दी थी कि पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। मामले की जांच कर रहे आला अधिकारियों ने घटना को झूठा पाया और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि चोर ने पुलिस से बचने के लिए पुलिसकर्मियों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है।

गाजीपुर में कचरा फेंकने पर रोक

- उपराज्यपाल ने लैंडफिल साइट को दो साल के भीतर साफ करने का दिया निर्देश
- पूर्वी निगम कचरे के निपटारे के लिए इसे किसी दूसरे स्थान पर भेजेगा
- पूर्वी दिल्ली निगम मृतकों के परिवारों को देगा एक-एक लाख का मुआवजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

गाजीपुर में कचरे का ढेर ढहने से हुई दो लोगों की मौत के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस लैंडफिल साइट में कचरा डालने पर रोक लगा दी है। उपराज्यपाल ने इस लैंडफिल साइट को दो साल के भीतर साफ करने का निर्देश भी दिया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे के ढेर का एक हिस्सा ढहने के एक दिन बाद शनिवार को बैजल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक की। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर नीमा भगत ने मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

उपराज्यपाल ने वाहनों के आवागमन के लिए लैंडफिल से लगी सड़क पर यातायात मोड़ने का निर्देश भी दिया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने उपराज्यपाल को आश्वासन दिया है कि वह सड़क निर्माण में इस्तेमाल के लिए नवंबर 2017 से ठोस कचरे को उठाने, उसे अलग करने व प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बयान के मुताबिक, प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ा दी गई है और दो साल के भीतर पूरा लैंडफिल साइट साफ कर दिया जाएगा। वहीं इस लैंडफिल साइट का प्रबंधन करने वाला पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) जमा कचरे के निपटारे के लिए इसे तत्काल प्रभाव से किसी दूसरे स्थान पर भेजेगा।

दिल्ली में तीन दिन पहले काफी बारिश हुई थी जो पिछले तीन साल में हुई सबसे भारी बारिश थी। बारिश के कारण ही शुक्रवार को गाजीपुर में कचरे के ढेर का एक हिस्सा ढह कर एक कार व तीन दोपहिया वाहनों पर गिर गया था, जिससे ये वाहन सड़क से फिसलकर नहर में गिर गए थे। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई थी। बैजल ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए सभी एजंसियों से इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने और विभागों के बीच समन्वय बनाने को कहा ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा न हों।

गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरा ढहने से हुई दो लोगों की मौत के मद्देनजर उत्तरी निगम की महापौर प्रीति अग्रवाल ने शनिवार को निगमायुक्त से भलस्वा लैंडफिल साइट के संबंध में भी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाला भलस्वा लैंडफिल साइट भी उत्तरी दिल्ली के लिए गाजीपुर जैसा ही खतरा है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इससे बचने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए, ताकि गाजीपुर जैसी घटना दोबारा न हो।

कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम की : आप

आम आदमी पार्टी (आप) ने गाजीपुर हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में भाजपा को दोषी ठहराया है। आप का कहना है कि दिल्ली में ठोस कचरे के उठान से लेकर उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम में काबिज भाजपा के अधीन है। शुक्रवार को गाजीपुर के जिस लैंडफिल साइट पर हादसा हुआ है उसकी ऊंचाई 45 मीटर है जो शेड्यूल 3 के मानकों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। निगम ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऊपर से यहां कूड़ा लगातार डाला ही जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि गाजीपुर जैसी दुर्घटना के बाद भी भाजपा दूषित राजनीति से बाज नहीं आ रही है और अपनी नाकामी का ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है।

मोटरसाइकिल सवारों ने भाजपा नेताओं पर बरसाईं गोलियां, पूर्व मंडल अध्यक्ष की मौत

- गोलीबारी में घायल वर्तमान मंडल अध्यक्ष बलवीर चौहान नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती
- दो मोटरसाइकिल सवारों ने की अंधाधुंध गोलीबारी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 सितंबर।

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार को मोटरसाइकिल सवारों ने भाजपा के नेताओं पर तोबड़तोड़ गोलियां बरसाईं जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जू की मौत हो गई जबकि वर्तमान अध्यक्ष बलवीर चौहान का नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

खोड़ा इलाके में शनिवार को उस समय भगदड़ मच गई जब मोटरसाइकिल दो बदमाशों ने दो युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोलियां चलाने वालों में भी एक भाजपा नेता शामिल है। एसपी सिटी आकाश तोमर ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पूर्व मंडल अध्यक्ष गजेंद्र भाटी और वर्तमान मंडल अध्यक्ष बलवीर चौहान पर हमला किया। उन्होंने बताया कि गजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है जबकि बलवीर को नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने बताया कि मृतक गजेंद्र एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश था जिस पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वह फिलहाल खोड़ा में ही रहता था और वहीं अपना ऑफिस बनाया हुआ था। शनिवार को गजेंद्र और बलवीर चौहान ऑफिस में ही बैठे हुए थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार बदमाश आए और उन्होंने उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए।

इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने गजेंद्र को मृत घोषित कर दिया जबकि बलवीर चौहान की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। एसपी सिटी ने बताया की पुलिस आसपास में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है लेकिन जिस तरह का हुलिया आसपास के लोगों ने बताया है उम्मीद है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वादों पर अमल नहीं करती केजरीवाल सरकार : भाजपा

- बस खरीद के फैसले पर गुप्ता ने कहा, सरकार की मंशा में खोट
- बसों के बजट को दूसरे मदों में खर्च करने का लगाया आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दिल्ली सरकार के बस खरीदने के फैसले पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार की मंशा में खोट है। सरकार केवल वादे और दावे करती है, लेकिन उन पर खरा उतरने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मंशा ठीक होती तो उसे पिछले तीस महीनों में दिल्ली परिवहन निगम के लिए बसें खरीदने के फैसले की घोषणा तीन बार नहीं करनी पड़ती। आप सरकार के कार्यकाल में एक भी नई बस दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल नहीं हुई है।

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार अपने वादों पर अमल करना ही नहीं चाहती। सरकार ने जुलाई 2014 में 1380 बसें व मई 2015 में 500 छोटी बसें खरीदने का फैसला किया था। जून 2016 में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने 2000 नई बसें उतारने की घोषणा की थी। यहां तक कि इसके लिए टेंडर जारी करने का भी एलान हुआ था, लेकिन इनमें से किसी भी फैसले को अमली जामा नहीं पहनाया गया। अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की ओर से की गई ताजा घोषणा के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर अगले दस महीने में कोई नई बस उतर पाएगी। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बसों के बजट को दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता है। आप सरकार की यह सोच दर्शाती है कि उसका दिल्ली के लोगों से क्या सरोकार है। पहले की घोषणाओं की तरह बस खरीद की नई घोषणा भी सिर्फ नाटक है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से फेल हो गया है क्योंकि आप सरकार की ओर से की गई घोषणाएं केवल लोगों को छलने व पार्टी का सस्ता प्रचार करने के लिए की जाती हैं। इस समय दिल्ली में लगभग 16000 बसों की जरूरत है, जबकि सड़कों पर सिर्फ 3900 बसें ही हैं। इनमें से भी रोजाना 500 से ज्यादा बसें खराब हो जाती हैं। असलियत में केवल 3400 बसें ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हैं और यह संख्या दिल्ली की परिवहन जरूरतों को देखते हुए अपर्याप्त है।

घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अशोक विहार के फेज-3 इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। वारदात के शिकार हुए राम कैलाश (74) और उनकी पत्नी कौशल्या (70) दोनों केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। पुलिस का कहना है कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं।

पड़ोसियों की मानें तो काफी सालों से यह दंपति यहां अकेले रह रहे थे। हाल ही में राम कैलाश का ऑपरेशन हुआ था। इसी वजह से उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ था। बुजुर्ग दंपति के घर एक नौकर का भी आना-जाना था। वारदात के बाद से दोनों गायब हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, ताकि कोई सुराग हाथ लग सके।

शुरुआती जांच में पता चला है कि दंपति की कोई संतान नहीं थी। कुछ समय से पति-पत्नी दिख भी नहीं रहे थे। उनका भतीजा रमन लगातार फोन भी कर रहा था। वह शनिवार सुबह अपनी बुआ कौशल्या के घर पर पहुंचा। पड़ोसियों से पूछताछ के बाद भतीजे ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि दंपति का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

केंद्रीय आर्य युवक परिषद : राष्ट्रीय आर्य युवा सम्मेलन, दीवान हाल, चांदनी चौक, सुबह 9 बजे।

प्रगति मैदान : दिल्ली पुस्तक मेला, प्रगति मैदान हॉल, सुबह 10 बजे से, तीन सितंबर तक।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : शरणार्थी शिविरों में रहने वाली महिलाओं पर आधारित प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, कमलादेवी ब्लॉक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, आठ सितंबर तक।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : फिल्म और संगीत, सेंटर हैबिटाट वर्ल्ड, लोधी रोड, शाम 7 बजे।

RICHA INDUSTRIES LIMITED
Regd. office: Plot No.29, DLF Industrial Area, Phase-II, Faridabad-121003, Haryana
Telephone: 0129-4133968, Fax: 0129-4133969, CIN: L17115HR1993PLC032108,
E-mail: richa@richa.in, Website: www.richa.in

NOTICE FOR 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

Notice is hereby given that:

1. The 23rd Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 26th day of September, 2017 at 10.00 A.M. at Hotel Delight, 17-18 Neelam Bata Road, N.I.T. Faridabad -121001, (Haryana) to transact the businesses as set out in the Notice dated 14th August, 2017which has already been sent to the members individually at their registered email IDs and address.
2. Pursuant to the provision of Section 91(1) of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of Companies (Management and Administration) rules, 2014 and other applicable provision, if any of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2017 to Tuesday, September 26, 2017 (Both days Inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
3. Electronic copy of the Notice of the 23rd Annual General Meeting of the Company, inter alia, indicating the process and manner of remote e-voting along with Attendance Slip and Proxy form has been sent on 02 September, 2017 to all the members whose email IDs are registered with the Depository Participant(s). Members who have not registered their e mail address, physical copies of the aforesaid documents have been sent through courier on September 01, 2017.
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, remote e-voting facility has been provided to the shareholders in respect of the resolution included in the AGM notice for ensuing AGM. In this regard, the company has entered into agreement with the Central Depository Services Limited (CDSL) for facilitating remote e-voting. The Company has appointed Mr. KapilKachhawa, Practising Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.
5. The e-voting period begins on Saturday, 23rd September, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Monday, 25th September, 2017 at 5.00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 19th September, 2017 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
6. Those person who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notices of the AGM by the Company and whose name appear in the Register of Member as on cut-off date i.e.19th September, 2017 can view the Notice of 23rd AGM on the Company Website and may obtain login id and password by sending request at delhi@linkintime.co.in. Such Members can exercise their voting rights through remote E-Voting by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM.
7. All the members informed that:
   a) Remote E-Voting shall not be allowed beyond Monday, September 25, 2017 (5:00 PM.)
   b) A members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through polling paper.
   c) A Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting
   d) A Member whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled for to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.
8. Notice of the 23rdAGM of the Company along with Annual Report for 2016-2017, attendance Slip and Proxy form has also been uploaded on Company Website at www.richa.inand also available for inspection at the registered office of the Company during Working Hours between 11.00A.M. to 1.00 P.M. (Except Sundays and Public Holidays)
9. In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may contact, Mehboob Lakhani, Assistant Manager or Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 17th Floor, Phiroze JeejeebhoyTowers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 at the designated email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or at call on the toll free no. 18002005533.

For Richa Industries Limited
Sd/-
Sandeep Gupta
Managing Director

Date : 02nd September, 2017
Place : Faridabad

हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड
CIN: L27202DL1985PLC019750
पंजी. कार्यालयः 505, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
वेबसाइटः www.hitechpipes.in, ईमेल आईडीः info@hitechpipes.in; फोनः 011-48440050

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैठक के आयोजन की सूचना दिनांक 10 अगस्त, 2017 में उल्लिखित व्यवसाय के निष्पादन के लिए हाई टेक पाइप्स लिमिटेड के सदस्यों की तैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 25 सितंबर, 2017 को प्रातः 11:30 बजे पंजाबी बाग क्लब एनडब्ल्यूए रोड, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में आयोजित की जाएगी।

सूचना (विवरणात्मक ब्योरे के साथ), निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (वार्षिक विवरण 2017) सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए पते पर डाक पर या कंपनी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपीएस) को दिए गए ईमेल पते पर भेजें जा चुके हैं।

वर्ष 2016-17 के वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी सभी सदस्यों को उनके द्वारा कंपनी/रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास दिए गए ईमेल पर भेज दिया गया है और अगर उनके पास 2017 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है, तो कंपनी का कोई भी सदस्य कृपया कंपनी या आरटीए मैसर्स बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को लिख सकते हैं या इस ई-मेल पते investors@hitechpipes.in पर मेल भेज सकते हैं और उन्हें वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी मुफ्त में भेज दी जाएगी। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें वर्ष 2016-17 की लिखित कॉपी स्वीकृत तरीके से भेज दी गई है।

वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट, पंजीकृत कार्यालय में कार्यदिवसों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई है और इसकी सॉफ्ट कॉपी को कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in पर डाल दिया गया है।

जिन सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर जाकर शेयर खरीदे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना परिवर्तित पता और बैंक के संबंध में जानकारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को उपलब्ध कराएं। यदि शेयर डिमेट अकाउंट के माध्यम से खरीदे हैं, तो वे अपने परिवर्तित पते और बैंक का विवरण अपने संबंधित डी.पी को दें।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के प्रयोजन हेतु सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए ट्रांसफर बुक बंद होने की तिथि और कंपनी के सदस्यों के लिए लाभांश की घोषणा/भुगतान करने की तिथि 20 सितम्बर, 2017 से 25 सितम्बर, 2017 (दोनों दिवस शामिल) तक है।

सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग के द्वारा किया जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने अपने सदस्यों को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनें के विकल्प के तौर पर ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने ई-वोटिंग को सुगम बनाने एवं शेयरधारकों द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने में सहायता करने हेतु सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैः

1. सूचना भेजने का कार्य पूर्ण होने की तिथिः 1 सितम्बर, 2017
2. ई-वोटिंग शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और रविवार, 24 सितम्बर, 2017 को सायं 5:00 बजे (दोनों दिवस शामिल) बंद होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद हो जाएगा और इसके पश्चात सदस्य ई-वोटिंग नही कर सकते ।
3. ई-वोटिंग सुविधा के लिए फिजिकल या डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारण की अंतिम तिथि 19 सितम्बर, 2017 होगी।
4. बैठक की सूचना और ई-वोटिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है और यह कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in पर भी उपलब्ध है।
5. सदस्यगण ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री वाई.के. सिंघल, मैसर्स बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से (रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से लिखित में या उनके ई-मेल yksinghal@bigshareonline.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या लैंडलाइन नं. 011-23522373 पर कॉल कर सकते हैं। ई-वोटिंग के विस्तृत प्रक्रिया/दिशानिर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में भी दी गई है।

एक बार वोट देने के पश्चात इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग का अधिकार अंतिम तिथि को कंपनी की धारित पूंजी के अनुपातिक होगा।

बोर्ड के आदेश से
कृते हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड
हस्ता./-
अरूण कुमार
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3 सितम्बर, 2017

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
NIMBUS
(CIN - L74899DL1993PLC055470)
पंजिकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com
फोनः 011-42878900, फैक्सः 011-22424291

24वीं वार्षिक आम सभा के लिए सूचना ई-मतदान जानकारी और क्लोजर सूचना रजिस्टर ऑफ मेम्बर तथा शेयर ट्रांसफर बुक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 24वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार 27 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10 बजे निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यगण द्वारा 'गोल्डन पाम्स होटल और स्पा' में प्लॉट-6सी, सामुदायिक केन्द्र, पूर्वी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, पटपड़गंज, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-110092 में दिनांक 25 अगस्त 2017 में सूचित कारोबार को निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी के वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2017 से सम्बंधित एजीएम की सूचना जिसमें रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीका बताया गया है प्रकाशित उपस्थिति स्लिप तथा प्रॉक्सी फार्म के साथ कम्पनी 2 सितम्बर, 2017 को उन सदस्यों को जो कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार के साथ अपने ई-मेल पते पर दर्ज कर लिया है, उनको भेजा गया है और एजेन्ट स्थानांतरण (आरटीए)/उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतिलिपी उन सदस्यों को जो 2 सितम्बर, 2017 को कम्पनी/कम्पनी के आरटीए के साथ ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं हैं उन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट, वित्तीय, निगमित प्रशासन की रिपोर्ट आदि सहित) भी सदस्यों को भेज दिया गया है। एजीएम की सूचना के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी कम्पनी की वेबसाइट **www.nimbusprojectsltd.com** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर एजीएम की तिथि तक निरक्षण के लिए उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हैं वह कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है अथवा उपरोक्त पते अथवा ई-मेल आई डी पर भी कम्पनी सचिव को लिखित रूप में उसकी प्रति के लिए अनुरोध कर सकते है।

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015 (के रेगुलेशन 44) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में अन्यत्र किसी स्थान से (एनएसडीएल) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटिरी लि. की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि-

क) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि 24 सितम्बर, 2017 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी तथा 26 सितम्बर, 2017 को शाम 5 बजे के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ख) वह सदस्य जो कम्पनी के शेयर कट-ऑफ तिथि 26 सितम्बर 2017 पर भौतिक या डीमैट रूप में रखता है उसी को दूरस्थ/एजीएम पर ई-वोटिंग/वोटिंग का अधिकार प्राप्त होगा।

ग) ऐसे सदस्य जो सूचना देने के पश्चात तथा कट-ऑफ तिथि पर शेयर अधिकृत किए हैं तथा इस तिथि पर कम्पनी के सदस्य बने हैं वो "लॉगइन आई डी तथा पासवर्ड" **evoting@nsdl.co.in**/जारीकर्ता/आरटीए को लिखकर प्राप्त कर सकता है। आम सभा की सूचना में इसकी विस्तृत प्रक्रिया समझाई गई है, जो कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

घ) ऐसे सदस्य जो दूरस्थ मतदान कर चुके हैं वह आम सभा में शामिल होने के हकदार हैं परन्तु उनको बैलेट से मतदान का अधिकार नहीं होगा। एजीएम में मतदान बैलेट प्रक्रिया द्वारा होगा।दूरस्थ मतदान की प्रक्रिया उपरोक्त तिथि तथा समय के पश्चात एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात इसे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।

ङ) किसी भी प्रश्न या मुद्दे पर जो ई-मतदान से सम्बंधित है सदस्य इसके लिए एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न) तथा ई-वोटिंग मैन्युवल जो **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है, से जानकारी प्राप्त कर सकते है या इसके लिए निम्नलिखित पर ई-मेल लिखकर अथवा सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं :

नाम-ललित अग्रवाल
पद -कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
पता- 1001-1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, 23 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल- cs.lalit@nimbusgroup.net
दू.नं.-011-42878909/910

च) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015 के रेगुलेशन 42 के नियमों के अनुसार कम्पनी का रजिस्टर ऑफ मेम्बर तथा शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 20 सितम्बर, 2017 से बुधवार 27 सितम्बर 2016 (दोनों दिन समाहित) बंद रहेगी।

छ) कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर सुनिश्चित के लिए श्री कपिल देव वशिष्ट, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता की प्रैक्टिस) को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 20 किसी भी वैधानिक संशोधन या अधिनियम, वर्तमान में लागू

कृते निम्बस प्रोजक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(ललित अग्रवाल)
कम्पनी सचिव एवं पर्ण कालिक निदेशक
डीआईएन: 00001276

दिनांक : 2 सितम्बर, 2017
स्थान : नई दिल्ली

OMAXE
Turning dreams into reality

Omaxe Limited
(CIN: L74899HR1989PLC051918)
Registered Office: Shop No 19B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon-122001, Haryana
Corporate Office: 'Omaxe House', 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-100019
Tel: 91-11-41893100, 41896680-85 Fax: 91-11-41896679,
E-mail: secretarial@omaxe.com, Website: www.omaxe.com

PUBLIC NOTICE OF AGM, RECORD DATE & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 27th day of September, 2017 at 11:00 A.M. at Casabella Banquet, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon-122001, Haryana.

Annual Report, inter alia, consisting of Notice of AGM along with the proxy form and attendance slip have been sent on:

(a) August 28, 2017 in electronic mode to the Shareholders whose e-mail IDs are registered in the Depository records;

(b) September 1, 2017 through physical mode to the other Shareholders (i.e. whose e-mail ID's are not registered).

The Notice of the AGM and Annual Report are also available on the Company's website viz. www.omaxe.com under the Investors segment. Members, who did not receive the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at secretarial@omaxe.com or to the Registered Office address of the Company. The documents pertaining to all the items of business to be transacted in the ensuing AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day from September 2, 2017 to September 26, 2017 between 2:00 P.M. - 4:00 P.M. and will also be available at the AGM.

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed **from 22nd September, 2017 to 27th September, 2017 (both days inclusive)**, for the purpose of payment of dividend, if declared. For the Financial Year 2016-17, the Board of Directors of the Company has recommended a Dividend of Rs. 0.70 per Share (7%) on the paid up Equity Share Capital of the Company only to Public Shareholders and 0.1% on 0.1% Non-Cumulative, Redeemable Non-Convertible Preference Shares of the Company, which will be paid on and after 29th September, 2017.

The Board of Directors has appointed Naveen Shree Pandey, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the meeting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Further, pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to its Shareholders holding shares either in physical or dematerialized form as on September 21, 2017 (Cut-Off Date), for casting their vote electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system on National Securities Depository Ltd. (NSDL) from a place other than the venue of AGM ('Remote e-voting'). Shareholders are requested to note that the remote e-voting through electronic mode shall be commenced from **9:00 A.M. on September 23, 2017 to 5:00 P.M. on September 26, 2017 (both days inclusive).** The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding Shares as on the cut- off date i.e. 21st September, 2017 may obtain the user ID and Password by sending a request at secretarial@omaxe.com or swapann@linkintime.co.in (RTA). The facility for voting through "Physical Ballot" shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to cast their vote at the meeting through "Physical Ballot". The member who has cast his /her vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM; In case, it is found that any Member(s) who has cast his/her vote through remote e-voting, has also cast vote through physical ballot at the AGM, then voting done by remote e-voting only shall be